रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032025-261462 CG-DL-E-04032025-261462

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2025/फाल्गुन 13, 1946 No. 152] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2025/PHALGUNA 13, 1946

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2025

फा. सं. वी-33013/20/2023-स्था.-IV.— कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा नागालैंड के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत:

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अधीन
1.	सलाहकार, श्रम एवं रोजगार, नागालैंड	अध्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	प्रशासनिक प्रमुख, श्रम एवं रोजगार विभाग, नागालैंड	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
3.	आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नागालैंड	सदस्य	विनियम 10(1)(ग)
4.	प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजन नागालैंड	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रभारी अधिकारी, पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
5.	राज्य चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नागालैंड	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(ii)

1565 GI/2025 (1)

6.	श्री पेले खेझी	नियोक्ताओं के	विनियम 10(1)(ङ)
	अध्यक्ष, नागालैंड ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता संघ	प्रतिनिधि	
7.	श्रीमती निनी सेखोसे	नियोक्ताओं के	विनियम 10(1) का
	अध्यक्ष, ऑल नागालैंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन	अतिरिक्त प्रतिनिधि	परंतुक
8.	श्री त्सुकनुंगटेम्सु जमीर	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ङ)
	उपाध्यक्ष, कोहिमा होटल एवं रेस्तरां यूनियन		
9.	श्री खमगाइपु कामेइ	कर्मचारियों के	विनियम 10(1) का
	प्रबंधक, एपेक्स मोटर्स,	अतिरिक्त प्रतिनिधि	परंतुक
	दीमापुर		
10.	क्षेत्रीय निदेशक,	सदस्य सचिव	विनियम 10(3)
	कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गुवाहाटी, असम		

रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./1010/2024-25]

EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2025

F. No. V-33013/20/2023- E-IV.— In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulations, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Nagaland, which shall consist of the following members, namely: -

S.No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1.	Advisor, Labour & Employment, Nagaland	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2.	Administrative Head of Department, Labour & Employment, Nagaland	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3.	Commissioner & Secretary, Health & Family Welfare, Nagaland	Member	Reg. 10(1)(c)
4.	The Administrative Medical Officer, ESI Scheme, Nagaland	In-Charge ESI Scheme, Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5.	State Medical Officer, Employees State Insurance Corporation, Nagaland	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
6.	Mr. Pele Khezhie President, Nagaland Contractors & Suppliers' Union	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
7.	Mrs. Nini Sekhose President, All Nagaland Private School Association	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8.	Mr. Tsuknungtemsu Jamir Vice President, Kohima Hotel & Restaurant Union	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
9.	Mr. Khamgaipu Kamei Manager, Apex Motors, Dimapur	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
10.	Regional Director, Employees State Insurance Corporation, Guwahati, Assam	Member Secretary	Regulation 10(3)

RATNESH KUMAR GAUTAM, Insurance Commissioner [ADVT.-III/4/Exty./1010/2024-25]